CIN : U40109RJ200 486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(कार्मिक विभाग)
पंजि.कार्या. : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – 302005
फोन व फैक्स नं. : 0141-2747036

क्रमांकः जेपीडी/मुकाअ/का.अ.(मं.सं.)/प.– /प्रे. 2140 जयपुर दिनांकः 28/10/2016

परिपत्र

विषयः– "कर्मचारी कल्याण अभियान" के अन्तर्गत कर्मचारियों के लंबित सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का निष्पादन।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 14(49)कार्मिक/क–5/2016 दिनांक 05.10.16 द्वारा दिनांक 07.10.16 से 30.11.16 तक "कर्मचारी कल्याण अभियान" चलाया जाकर कर्मचारियों के पदोन्नति, वेतन निर्धारण, सेवा निवृति के लाभ आदि सेवा सम्बन्धी लंबित प्रकरणों का निष्पादन किये जाने बाबत् निर्देश प्रसारित किये गये है। जयपुर विद्युत वितरण निगम में भी इस प्रकार के सेवा सम्बन्धी प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित है, अतः लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. वृत स्तर पर माह नवम्बर, 2016 में प्रत्येक बुधवार को केम्प का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रत्येक लंबित प्रकरण की समीक्षा की जाकर उसका निस्तारण किया जायेगा। वृत कार्मिक अधिकारी द्वारा लंबित प्रकरण तथा उसके निष्पादन अथवा उसके संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण अंकित किया जाकर रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। यदि प्रकरण का निष्पादन वृत स्तर पर संभव नहीं है तो प्रकरण सक्षम अधिकारी को मय पूर्ण विवरण अविलम्ब प्रेषित किया जायेगा।
2. यदि प्रकरण पूर्व में ही किसी उच्चाधिकारी को निस्तारण हेतु प्रेषित किया हुआ है तो उसका सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में अलग से उल्लेखित किया जायेगा।
3. संभागीय उप निदेशक कार्मिक बारी–बारी से प्रत्येक वृत में आयोजित होने वाले केम्पों में शामिल होकर लंबित प्रकरणों के निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
4. जिन वृतों/कार्यालयों में कार्मिक अधिकारी पदस्थापित नहीं है वहां के प्रकरण संभागीय उप निदेशक कार्मिक द्वारा निष्पादित किये जायेंगे।

मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा "कर्मचारी कल्याण अभियान" के अन्तर्गत समस्त लंबित प्रकरणों का यथासंभव निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्न :– प्रारूप।

(ए.के.बोहरा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2. मुख्य/संभागीय/उप मुख्य अभियंता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
3. मुख्य लेखाधिकारी/वरि.लेखाधिकारी/लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
4. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
5. अधीक्षण/अधिशाषी/सहायक अभियंता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
6. उप निदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
7. उप सचिव/सहायक सचिव, ( ), जयपुर डिस्कॉम,
8. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर,
9. निजी सहायक– अध्यक्ष डिस्कॉम्स/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

(एन.एस.नाथावत)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

CPO:E:\Devesh\hindi letter.docx

कर्मचारी कल्याण अभियान के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी लंबित प्रकरणों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट का प्रारूप

क्र. सं.	संबंधित कर्मचारी का नाम	पद	कार्यालय का नाम	लंबित प्रकरण की प्रकृति	कब से लंबित है (दिनांक/अवधि)	प्रकरण का विवरण	अपेक्षित कार्यवाही	निष्पादन कार्यवाही का विवरण	उच्चाधिकारी को प्रेषित करने का विवरण	विशेष विवरण